राजस्थान सरकार

कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांकः– प0 7(2)कार्मिक / क–2 / 15 जयपुर, दिनांकः 13 APR 2016

आदेश

राजस्थान राज्य में राज्य के अधीन सेवाओं में एवं शैक्षणिक संस्थाओं में संचालित पाठ्यक्रमों में, राज्य द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेशों के तहत विभिन्न वर्गों को आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। इन वर्गों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग आदि शामिल हैं।

हाल में, दिनांक 16.10.15 को जारी अधिसूचना द्वारा विशेष पिछंड़ा वर्ग आरक्षण संबंधी अधिनियम, 2015 को लागू किया जा चुका है, जिसके द्वारा पूर्व में आदेश दिनांक 06.05.10 एवं पश्चात्वर्ती आदेशों द्वारा लागू 1 प्रतिशत विशेष पिछड़ा वर्ग (SBC) आरक्षण, को बढ़ाकर 5 प्रतिशत किया जा चुका है। अन्य वर्गों के आरक्षण में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

अतः एतद्द्वारा समस्त संबंधित प्रशासनिक विभागों को व्यादिष्ट किया जाता है कि वे अपने अधीनस्थ शैक्षणिक संस्थाओं में संचालित पाठ्यक्रमों में अन्य वर्गों के आरक्षण को यथावत् रखते हुए, सत्र वर्ष 2016–17 से विशेष पिछड़ा वर्ग को 1 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना सुनिश्चित करें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(आलोक गुप्ता)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, मा0 राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव (प्रथम / द्वितीय), मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, समस्त अति0 मुख्य सचिव।
5. समस्त प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ठ शासन सचिव।
6. समस्त विभागाध्यक्ष / संभागीय आयुक्त मय जिला कलेक्टर्स।

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।

संयुक्त शासन सचिव

16/2016